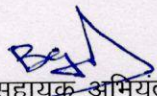


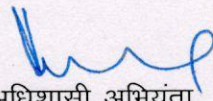
परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैंड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना का औचित्य

शासनादेश संख्या 5966/111(2)/10-18 (प्रा.आ.)/2010 टी.सी. दिनांक 11.10.2010 द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मोटर मार्ग से भदौरा बाजीरोड तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि०मी०, लागत रू० 37.80 लाख एवं जिला योजना 2010-11 के अन्तर्गत जिला अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक 929/ जि.यो./10-11 दिनांक 17.08.2010 द्वारा कांडा रावतसेरा मोटर मार्ग के कि०मी० 5 कोटपातल बैंड से भदौरा बाजीरोड तक लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 5 कि०मी०, लागत 1.00 लाख (प्रथम चरण के अन्तर्गत वन भूमि स्वीकृति हेतु) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जनपद बागेश्वर में कांडा-सानिउडियार-रावतसेरा मोटर मार्ग विभिन्न चरणों में भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृत होने के उपरान्त निर्मित हो चुका है एवं यातायात हेतु चालू है। कोटपातल बैंड इस मार्ग के कि०मी० 5 में पड़ता है। वर्तमान मोटर मार्ग को इसी बैंड से प्रस्तावित किया गया है और भदौरा होते हुए बाजीरोड तक इस मार्ग की कुल लम्बाई 5 कि.मी. आती है। ग्राम भदौरा एवं तोक खड़खेत, बांजझिरौटी की आवादी 2001 की जनसंख्या के अनुसार 311 है और ये गांव अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं। मार्ग के संरक्षण में प्रथम 3 कि.मी. भाग में नाप व वनपंचायत के अतिरिक्त राज्य सरकार की सिविल सोयम भूमि प्रभावित होती है और अन्तिम 2 कि०मी० में नाप भूमि प्रभावित होती है। शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में 250 से कम आवादी वाले ग्रामों को यातायात से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, उसी के क्रम में यह मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया है। दूरस्थ क्षेत्र होने एवं यातायात की सुविधा न होने से अधिकारी/कर्मचारी तैनाती पर नहीं जाना चाहते हैं जिससे पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यरूप से शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा से क्षेत्रवासियों को बंचित रहना पड़ता है। कास्तकारों को उनकी उपज का उचित मूल्य न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और कृषि क्षेत्र घटता जा रहा है। युवाओं का रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से स्थानीय स्तर पर नये रोजगार के अवसरों के साथ ही चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की जलौनी लकड़ी पर निर्भरता रहती है। सरकार द्वारा वनों के कटान को रोकने हेतु अधिक से अधिक रसोई गैस का प्रचार प्रसार किया जा रहा है परन्तु परिवहन व्यवस्था न होने से स्थानीय जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मोटर मार्ग निर्माण होने से वनों के कटान पर भी रोक लगेगी। प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मीटर चौड़ाई में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों के अनुसार की गयी है। प्रभावित होने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल 0.840 है० है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 70 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित है एवं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कास्तकारों की निजी नाप भूमि के अलावा लगभग सभी प्रकार की भूमि को वन अधिनियम के दायरे में लिया गया है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण हैं।


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर


अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर